इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024—कार्तिक 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (27) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-63/2017/1/पांच (82) दिनांक 29 सितम्बर 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रविष्टि (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी,-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रैप की आपूर्ति प्राप्त करता है";

ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"परंतु कि इस अधिसूचना में कोई भी बात, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत, इस अधिसूचना के खंड (घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ ए 3—63—2017—1—पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—63—2017—1—पांच (27), दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th November 2024

No. F A 3-63/2017/1/V (27) : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A 3-63/2017/1/V (82) dated the 29th September, 2018, namely:-

In the said notification,

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted,-

"(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from other registered person";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely-

"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th of October, 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.